डाक प्राप्ति संख्या 2403/S.L.S.A.
दिनांक 24.11.2015

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग–1

संख्या– —— /XXXVI(1)/2015–8 एक(5)/2006

देहरादून: दिनांक: 17 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम सं0–39, वर्ष 1987) की धारा 28 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा0 मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

1.(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 के उपनियम (1) एवं उपनियम (2) का प्रतिस्थापन– 2. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 3 के उपनियम (1) एवं उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

	स्तम्भ–1 वर्तमान उपनियम		स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
3(1)	राज्य प्राधिकरण में उसके मुख्य संरक्षक और कार्यकारी अध्यक्ष सहित सत्रह से अधिक सदस्य नहीं होगें।	3(1)	राज्य प्राधिकरण में उसके मुख्य संरक्षक और कार्यकारी अध्यक्ष सहित बीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
3(2)	राज्य प्राधिकरण के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे, अर्थात	3(2)	राज्य प्राधिकरण के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे, अर्थात
(i)	महाधिवक्ता, उत्तरांचल	(i)	अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
(ii)	प्रमुख सचिव, वित्त	(ii)	महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड
(iii)	सचिव, न्याय	(iii)	महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
(iv)	प्रमुख सचिव, राजस्व	(iv)	प्रमुख सचिव, वित्त
(v)	अध्यक्ष, उत्तराचंल राज्य विधिक परिषद (बार काउंन्सिल)	(v)	प्रमुख सचिव, न्याय
(vi)	अध्यक्ष, उत्तरांचल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग	(vi)	प्रमुख सचिव, राजस्व
(vii)	उत्तरांचल राज्य के पुलिस महानिदेशक	(vii)	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग
(viii)	सचिव/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तरांचल	(viii)	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक परिषद (बार काउंसिल)
(ix)	जिला प्राधिकरण के दो अध्यक्ष जिन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाए।	(ix)	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग

(x) उत्तराखण्ड राज्य के पुलिस महानिदेशक

(xi) सचिव/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

(xii) जिला प्राधिकरण के दो अध्यक्ष जिन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाए।

नियम 12 के उपनियम (1) का प्रतिस्थापन— 3. मूल नियमावली के नियम 12 के उपनियम (1) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर कर दिया जायेगाः—

स्तम्भ—1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ—2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
12(1) सिविल जज, (सीनियर डिवीजन) अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सचिव होंगे और मानदेय के रूप में रू0 500/— प्रतिमाह अथवा ऐसी धनराशि का भुगतान किया जाएगा, जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य प्राधिकरण द्वारा नियत की जाए।	12(1) सिविल जज, (सीनियर डिवीजन) संवर्ग के न्यायिक अधिकारी को उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया जायेगा, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव के रूप में कार्य करेगा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति न होने की दशा में उस जिले को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अथवा उनकी अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सचिव होंगे और मानदेय के रूप में रू0 1,000/— प्रतिमाह अथवा ऐसी धनराशि का भुगतान किया जाएगा, जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य प्राधिकरण द्वारा नियत की जाए।

नियम 14 के उपनियम (2)(ख) का प्रतिस्थापन— 4. मूल नियमावली के नियम 14 के उपनियम (2)(ख) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगाः—

स्तम्भ—1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ—2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
14(2) (ख) यदि उपखण्ड अधिकारी तहसील या उपखण्ड में तैनात है, या उसकी अनुपस्थिति में तहसील का तहसीलदार, यदि न्यायिक अधिकारी उपखण्ड में तैनात नही है, यथास्थिति, तहसील समिति के अध्यक्ष/सचिव के रूप में कार्य करेगा और उसे मानदेय की ऐसी राशि का भुगतान किया जायेगा जो कि न्यायिक अधिकारी को अनुमन्य है।	14(2) (ख) यदि उपखण्ड अधिकारी तहसील में तैनात है, तहसील विधिक सेवा समिति के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेगा।

नियम 19 के उपनियम (ख), (ग), (घ) तथा (ड़) का निरसन— 5. मूल नियमावली के नियम 19 के उपनियम (ख), (ग), (घ) तथा (ड़) को निरसित कर दिया जायेगा।

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या— —— /XXXVI(1)/2015—8 एक(5)/2006 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, जिला हरिद्वार को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग—4 खण्ड—ख, परिनियम आदेश में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कहकशा खान)
अपर सचिव

संख्या—349(ii)/XXXVI(1)/2015—8 एक(5)/2006 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2— स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4— समस्त अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश।
5— सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
6— गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

mr. Ravi

(कहकशा खान)
अपर सचिव

अधिकारी
विधिक सेवा प्राधिकरण,